उत्तर प्रदेश सरकार

महिला एवं बाल विकास अनुभाग - २

संख्या- १३३/साठ-२ - ६२ - ५८ अधि०/६०

लखनऊ, दिनांक १६-११-६२

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, १९६२

भाग- एक- सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१. (१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, १९६२ कही जायगी ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

२. उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं ।

परिभाषायें

३. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक से है ,

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है,

(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है ।

(ङ) "निदेशक" का तात्पर्य समुचित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश के निदेशक से है ।

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार

भर्ती का ढंग

(ञ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली, या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ।

(झ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा से है ।

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात किया गया हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य पालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ।

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग- दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग ४. (१) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाये ।

(२) जब तक उप-नियम (१) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट में दी गयी है परन्तु,

(१) "नियुक्ति प्राधिकारी" किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा ।

(२) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग- तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत ५. (१) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

[illegible]

§१§ फील्ड रिपोर्टर §क्षेत्र प्रतिवेदक§

§१§ ५० प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

§२§ ५० प्रतिशत मौलिक रुप से नियुक्त सामाजिक कार्य अनुदेशक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष प्रथम दिवस को इस रुप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ।

§२§ पोषणविद §न्यूट्रिशनिस्ट§

§१§ ५० प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर, आयोगके माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

§२§ ५० प्रतिशत मौलिक रुप से नियुक्त स्वास्थ्य अनुदेशक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ।

§३§ विधि सहायक

प्रतियोगिता परीक्षा परीक्षा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

§४§ मुख्य सेविका

§१§ ५० प्रतिशत, महिला अभ्यर्थियों में से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

§२§ ५० प्रतिशत, ऐसे हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आंगनबाडी कार्यकत्री में से, जिन्होंने इस रुप में १० वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को ४५ वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

§५§ सामाजिक कार्य अनुदेशक

प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर, आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

§६§ स्वास्थ्य अनुदेशक

प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर, आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

§७§ पूर्व विद्यालय अनुदेशक

प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर, आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

<u>सांख्यिकीय शाखा</u>

§८§ सांख्यिकीय सहायक

मौलिक रुप से नियुक्त अन्वेषक एवं संगणक में से जिन्होंने

भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

§९§ अन्वेषक एवं संगणक — प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

<u>लेखापरीक्षा शाखा</u>

§१०§ ज्येष्ठ- लेखा परीक्षक — मौलिक रूप से नियुक्त लेखा परीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

§११§ लेखा परीक्षक — प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर, आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

<u>लेखा शाखा</u>

§१२§ सहायक लेखाकार §मुख्यालय§ —

§१§ ५० प्रतिशत साक्षात्कार के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

§२§ ५० प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त लेखा लिपिक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

§१३§ लेखा लिपिक — मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ लेखा लिपिक में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ।

§१४§ कनिष्ठ लेखा लिपिक — साक्षात्कार के आधार पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा ।

आरक्षण ६- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

भाग - चार - अर्हताएं

राष्ट्रीयता ७- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

§क§ भारत का नागरिक हो, या

§ख§ तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास अभिप्राय से उपाधि, रखता हो ।

			अधिमानी अर्हता
		(२)	प्रसारण या समाचार पत्र प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) या सम्पादन का दो वर्ष का अनुभव ।
		(३)	स्थानीय भाषा में बोली को लिखने और बोलने की क्षमता ।
२-	पोषणविद् (न्यूट्रिशनिस्ट)	(१)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से खाद्य और पोषण में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या पोषण में डिप्लोमा के साथ समाज कार्य या समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।
		(२)	समाज कल्याण या बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने या उसके पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने का दो वर्ष का अनुभव ।
३-	विधि सहायक		भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो ।
४-	मुख्य सेविका		अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो । अधिमानी अर्हता ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में कल्याण कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव हो ।
५-	सामाजिक कार्य अनुदेशक	(१)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो ।
		(२)	समाज कल्याण या बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने या उसके पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने का दो वर्ष का अनुभव ।

६-	स्वास्थ्य अनुदेशक अनुदेशक		भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से नर्सिंग में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, या चिकित्सालय या स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासन या स्वास्थ्य शिक्षा या लोक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से नर्सिंग में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो।
		§२§	समाज कल्याण या बाल विकास या लोक स्वास्थ्य के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने या उनके पर्यवेक्षण या अनुश्रवण करने का दो वर्ष का अनुभव ।
७-	पूर्व विद्यालय अनुदेशक	§१§	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा या बाल विकास या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई उपाधि रखता हो।
		§२§	समाज कल्याण या बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने या उनके पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करने का दो वर्ष का अनुभव ।
८-	अन्वेषक एवं संगणक		भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो ।
९-	लेखा परीक्षक		भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखापरीक्षा या लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो ।
१०-	सहायक लेखाकार §मुख्यालय§		भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो ।
११-	कनिष्ठ लेखा लिपिक		माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य में इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई [illegible]

...जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो ;
[illegible]

अधिमानी ९– अर्हता

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा :–

॥ एक ॥ जो नियम ८ में उल्लिखित किसी पद के सम्बन्ध में अधिमानी अर्हता रखता हो या

॥ दो ॥ जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या

॥ तीन ॥ जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु १०– सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष के जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञप्त की जाय, प्रथम दिवस को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र ११– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी:– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति १२– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

[illegible] प्रयोजन के लिए एक विभागीय चयन

[illegible] समिति [illegible] होंगे :

चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(क) नियुक्ति प्राधिकारी ।

(ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी । यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी ।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमे से एक अल्प संख्यक समुदाय का और दूसरा पिछडी जाति का होगा । यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और उपयुक्त अधिकारियो की अनुपलब्धता के

कारण उसके ऐसा करने मे विफल रहने पर ऐसे अधिकारी मण्डलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

२- विभागीय चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और नियम ६ के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को, जितने वे पर्याप्त समझे और जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलाएगी ।

३- विभागीय चयन समिति अभ्यर्थियों की उनके प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन

समिति उनके नाम पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी । सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु २५ प्रतिशत से अनधिक) होगी । विभागीय चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

१४- क (१) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

क- नियुक्ति प्राधिकारी

ख- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी : परन्तु यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जन जातियों और वर्गों जिसका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, का एक अधिकारी चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :- "अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ।

(२) चयन समिति आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी ।

(३) चयन समिति, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा

प्राप्त अंकों को सारिणी बद्ध कर लिए जाने के पश्चात नियम-६ के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार

पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंचे हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जाएंगे ।

(४) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी । समिति, सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

१६. (१) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे ।

(२) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो ।

(३) आयोग, लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारिणी बद्ध कर लिए जाने के पश्चात नियम ६ में उल्लिखित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, जो आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुंचे हों ।

(४) आयोग, अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा

और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वे नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तुति करेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो अभ्यर्थियों के नाम उनकी सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए रखे जाएंगे । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु २५ प्रतिशत से अनाधिक) होगी । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर आयोग के माध्यम सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(२) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेंगे ।

(२) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो ।

(३) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात नियम ६ के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों, का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंचे हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड दिये जायेंगे ।

(४) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तुति करेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु २५ प्रतिशत से

अनाधिक ४ होगी । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

१८- (१) पदोन्नति द्वारा भर्ती, उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन ४ सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए४ नियमावली, १९८२ के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी ।

(२) नियुक्ति अधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची उत्तर प्रदेश ४ लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर ४ चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, १९८८ के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(३) चयन समिति उप-नियम (२) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझा तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(४) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची उस ज्येष्ठता क्रम में जैसी कि वह उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

संयुक्त चयन सूची

१९- यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिए जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

२०- (१) नियम (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए

नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम १५,१६,१६,१८ या १६ के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियां करेगा ।

(२) जहां, भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों वहां

नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम १६ के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(३) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम मे किया जायेगा जैसी की यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग मे हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम १६ में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे ।

परिवीक्षा २१- (१) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(२) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणो से जो अभिलिखित किये जायेंगें अलग-अलग मामलो मे परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढाई जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(३) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह

प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अधिकारों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(४) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (३) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जॉय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(५) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता

है ।

स्थायीकरण २२- (१) उपनियम (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि-

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त हो ।

(२) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, १९८२ के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-५ के उपनियम (३) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

ज्येष्ठता २३- किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक

ज्येष्ठता नियमावली १९८२ के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

भाग - सात - वेतन इत्यादि

वेतनमान २४- (१) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(२) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं

परिवीक्षा अवधि में वेतन २५- (१) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे ।

(२) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में, वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे ।

(३) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड २६- किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी